कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) वन भवन, मध्य प्रदेश भोपाल
ब्लाक–सी, द्वितीय तल, लिंक रोड़ नं0–2, तुलसी नगर, भोपाल
दूरभाष–कार्यालयः 0755–2674228, 2524184, ई–मेलः pccfcampa@mp.gov.in

No. /CAMPA/2024-25/ 1345 Bhopal, dated 12-3-25

To,

Chief Executive Officer
National Authority,
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Room no. A-232, 2nd Floor Agni wing.
Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj Jor Bagh Road, New Delhi - 110003

**Sub:- Request for providing Monitoring Mechanism adopted for Monitoring & Evaluation of CAMPA activities by various States/UTs-regarding.**

**Ref.:-**आपका पत्र क्रमांक / NA-1/14/2023-NA दिनांक 27.02.2025

--0--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से Monitoring Mechanism adopted for Monitoring & Evaluation of CAMPA activities अंतर्गत जानकारी चाही गई है।

इस संबंध में लेख है कि अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अंतर्गत चाही गई जानकारी परिशिष्ट–1 में संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

12/3/25
(एच0यू0खान)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
मध्यप्रदेश भोपाल

D/mohan/campa information/treasury APO 2024-25/letter & notsheet 2024-25

## Monitoring and Evaluation (Methodology and Protocol followed by the states)

### 1. तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन (Monitoring by third party)-

I. मध्यप्रदेश राज्य प्रधिकरण (कैम्पा) अतंर्गत किये गये कार्यों के मूल्यांकन हेतु भारतीय वन प्रबंध संस्थान (IIFM) द्वारा प्रक्रिया एवं मूल्यांकन प्रपत्र तैयार किये गये थे, जिनमें आवश्यकता अनुरूप संशोधन किया जाकर कार्यों का मूल्यांकन कराया जा रहा हैं।

II. वर्तमान में मूल्यांकन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जा रही है–

- संपूर्ण मध्यप्रदेश को 05 समूहों में विभाजित किया गया है:–

  1. समूह क्रमांक–1 भोपाल, बैतूल, सागर, नर्मदापुरम वन वृत्त।
  2. समूह क्रमांक–2 बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा वन वृत्त।
  3. समूह क्रमांक–3 इंदौर ,खण्डवा, उज्जैन, वन वृत्त।
  4. समूह क्रमांक–4 जबलपुर, शहडोल, रीवा वन वृत्त।
  5. समूह क्रमांक–5 ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर वन वृत्त।

- प्रत्येक समूह में किये गये कार्यों के मूल्यांकन हेतु MP eprocurement Portal (https://mptenders.gov.in) पर खुली निविदा प्रक्रिया के आधार पर तृतीय पक्ष का चयन किया जाता है।
- समस्त कार्यो के लिये वनमण्डल को आधारभूत इकाई का (Basic unit) माना गया है।
- कैम्पा अंतर्गत किये गये कार्यों का मूल्यांकन वार्षिक प्रचालन योजना (APO) वार एवं वृक्षारोपण की श्रेणीवार (क्षतिपूर्ति रोपण/एन.पी.व्ही.) किया जा रहा है। वृक्षारोपण कार्यों के मूल्यांकन हेतु (Sampling intensity 50%) तय की गयी है अर्थात यदि किसी वार्षिक प्रचालन योजना (APO) वर्ष में किसी वनमण्डल में 04 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा एन.पी. व्ही. अतंर्गत 06 वृक्षारोपण किये गये है तो कुल 02 क्षतिपूर्ति रोपण एवं कुल 03 एन.पी. व्ही. रोपण क्षेत्रों को मूल्यांकन हेतु randomly चयनित किया जावेगा। चयनित वृक्षारोपण क्षेत्र के संम्पूर्ण क्षेत्र के प्रत्येक हेक्टयर में 33m x 33m का प्लॉट डालकर मूल्यांकन किया जायेगा।
- जिस ए.पी.ओ. वर्ष के वृक्षारोपण कार्यो का मूल्यांकन किया जा रहा है उसके अतिरिक्त पूर्व के ऐसे वृक्षारोपण जिनका इस APO वर्ष में पॉचवा वर्ष (रखरखाव का तृतीय वर्ष) एवं नवॉ वर्ष (रखरखाव का सप्तम वर्ष) चल रहा है उनका भी मूल्यांकन किया जाता है।
- वृक्षारोपण कार्यों के मूल्यांकन में वृक्षारोपण की स्थिति जैसे पौधों की औसत ऊॅचाई, औसत गोलाई, जीवितता प्रतिशत तथा रोपण क्षेत्र में किये गये अन्य कार्यो की जानकारी सम्मिलित होती है।
- वृक्षारोपण कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य (Assets) जैसे भवन निर्माण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार, वन्यप्राणी आवास क्षेत्र विकास, रोपणियों में अद्योसंरचना विकास, संरक्षित क्षेत्रों से ग्राम विस्थापन, प्रचार एवं जागरूकता हेतु अनुभूति कार्यक्रम, अग्नि सुरक्षा प्रबंधन, मुनारा निर्माण, इत्यादि कार्यों के मूल्यांकन हेतु sampling intensity 20% निर्धारित की गई है।

किसी वनमण्डल अंतर्गत APO वर्ष में किये गये उपरोक्तानुार कार्यों में से श्रेणीवार 20% कार्य randomly चयनित कर निर्धारित प्रपत्रों में मूल्यांकन किया जाता है।

- इस प्रकार प्रत्येक वनमण्डल में समस्त कार्यो के मूल्यांकन उपरांत एक अंतिम मूल्यांकन प्रतिवेदन (Final Assessment Report) निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाता है।

## 2. आंतरिक अनुश्रवण (Internal Monitoring) –

(a) मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा राज्य में किये गए वृक्षारोपण कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली (Plantation Monitoring System) का विकास किया गया है। वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली की मुख्य विशेषताए निम्नानुसार हैं:–

1. यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड जो कि विभिन्न मापदंडों की स्थिति को दर्शाता है, जैसे कुल पंजीकृत वृक्षारोपण, ज़ीवितता प्रतिशत, कुल अनुमोदित, प्रतिवर्ष माह मई (Pre-Monsoon) एवं अक्टूबर (Post-Monsoon) मूल्यांकन की स्थिति एवं जिओमेपिंग (KML File) इत्यादि।
2. वृक्षारोपण कार्यों के वनमडल स्तर से अनुमोदन, मूल्यांकन, व्यय एवं जिओकोर्डिनेट (KML File) आदि की विस्तृत रिपोर्ट।
3. मुख्यालय स्तर से बेहतर अनुश्रवण हेतु एकीकृत जिओ–पोर्टल, जिसके माध्यम से वृक्षारोपण क्षेत्र वर्तमान की स्थिति के साथ–साथ पूर्व की स्थिति भी Satellite Imagery के माध्यम से देख सकते हैं।
4. चार स्तरों अर्थात् मुख्यालय, वन वृत्त, वनमंडल एवं परिक्षेत्र स्तर पर अलग–अलग प्रविष्टी का अधिकार, साथ ही मुख्यालय स्तर पर एकीकृत डाटा सेंटर।
5. कार्यप्रवाह (Workflow) आधारित पारदर्शी प्रणाली।
6. प्रणाली Public Domain में है एवं आमजन द्वारा इसका अवलोकन किया जा सकता है।

### (b) अधिकारियों द्वारा कार्यों का अनुश्रवण:–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को पृथक–पृथक वन वृत्त आवंटित किये गये है एवं उक्त वन वृत्तों के अंतर्गत विगत वर्षो में कैम्पा मद से किये गये कार्यों के निरीक्षण किये जाने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।